



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26757

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2072/2026

यशपाल चंद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार सिंह, देवेन्द्र सिंह कुशवाहा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी संख्या-3 को वाद संख्या-23849/2024, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202405310323849 को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार सख्ती से समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7): "(7). तहसीलदार नामान्तरण के अविवादित वाद को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित वाद को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा।"
5. उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में और पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में, अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त आवेदन को लें और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उसका निस्तारण इसके अपने गुण-दोष के आधार पर, कानून के अनुसार सख्ती से, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर करें, परंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी तर्कों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"